प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 317 / 2023

अनवान : –

1. वेद प्रकाश पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. सतीश कुमार पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 14.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 7 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 114 / 110 की 0.2150 हैक्ट भूमि में 3 / 5 हिस्सा वादी का एवं 2 / 5 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ने अपने अपने हिस्स पर अलग अलग कब्जा काश्त में खातेदारी भूमि चली आ रही है तथा अलग अलग सींव कायम है जिनका बाहमी बंटवारा वादी व प्रतिवादी के मध्य काफी वर्षो पूर्व हो चुका है जिसके मुताबिक वादी का 3 / 5 हिस्सा अर्थात 0.129 हैक्ट भूमि प0न0 334 / 371 के मु0न0 47 के किला न0 2 / 2 की पश्चिम पासा की भूमि है जिसके उत्तर में रास्ता, दक्षिण में शमशन भूमि, पूर्व में सतीश प्रतिवादी स0 1 का हिस्सा, पश्चिम में मनीराम खीचड़ है तथा प्रतिवादी स0 1 का 2 / 5 हिस्सा हिस्सा अर्थात 0.086 हैक्ट भूमि जिसके उत्तर में रास्ता, दक्षिण में श्मशान, पूर्व में फीरनी, पश्चिम में वादी का हिस्सा है इसी अनुसार न्यायालय से खाता व लगान तकसीम करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के मध्य खाता व लगान तकसीम न होने के कारण सींव व लगान संबंधी विवाद रहता है इसलिए वादी खाता व लगान तकसीम करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:53:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए

अपना जवाब दावा मय ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादी का जवाब दावा मय ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के संयुक्त खाता में दर्ज है। वादी ने अपना खाता तकसीम करवाने हेतु यह वाद पेश किया है वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर जवाब दावा मय ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 114/110 की 0.2150 हैक्ट भूमि में 3/5 हिस्सा वादी का एवं 2/5 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी ने यह वाद खाता तकसीम करवाने हेतु पेश किया है। संयुक्त खाते का कोई भी सहखातेदार काश्त की सुविधा को देखते हुए अपने रिकार्ड में धारित रकबे की हद तक अच्छी मंदी भूमि को ध्यान में रखते हुए खाता व लगान अलग करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 ने इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 114/110 के प0न0 334/371 के मु0न0 47 के किला न0 2/2 की 0.2150 हैक्ट भूमि का खाता व लगान तकसीम कर वादी के 3/5 हिस्सा अर्थात 0.1290 हैक्ट भूमि जिसके उत्तर में रास्ता, दक्षिण में श्मशन भूमि, पूर्व में सतीश प्रतिवादी स0 1 का हिस्सा, पश्चिम में मनीराम खीचड़ है तथा प्रतिवादी स0 1 का 2/5 हिस्सा अर्थात 0.0860 हैक्ट भूमि जिसके उत्तर में रास्ता, दक्षिण में श्मशान भूमि, पूर्व मे फिरनी, पश्चिम में वादी वेदप्रकाश का हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार खाता तकसीम कर मिन नम्बर बनाये जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा उभयपक्षकार अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 14/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:53:43 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बडबिराना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 317 / 2023

अनवान : –

1. वेद प्रकाश पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. सतीश कुमार पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 317 सन 2023 निर्णय दिनांक 14.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 114/110 के प0न0 334/371 के मु0न0 47 के किला न0 2/2 की 0.2150 हैक्ट भूमि का खाता व लगान तकसीम कर वादी के 3/5 हिस्सा अर्थात 0.1290 हैक्ट भूमि जिसके उत्तर में रास्ता, दक्षिण में श्मशन भूमि, पूर्व में सतीश प्रतिवादी स0 1 का हिस्सा, पश्चिम में मनीराम खीचड़ है तथा प्रतिवादी स0 1 का 2/5 हिस्सा अर्थात 0.0860 हैक्ट भूमि जिसके उत्तर में रास्ता, दक्षिण में श्मशान भूमि, पूर्व मे फिरनी, पश्चिम में वादी वेदप्रकाश का हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार खाता तकसीम कर मिन नम्बर बनाये जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा उभयपक्षकार अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बडबिराना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:53:43 IST
Reason: SelfAttested